फार्म सं0-563

कार्रवाई टिप्पणी ता0	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
-23	अभिलेख उपस्थापित। मसो0 सावित्री देवी पति स्व0 प्रफुल राम, निवास स्थान-अमृतनगर, करवेकला, थाना-मुफ्फसिल, पोस्ट-कोर्रा, जिला-हजारीबाग द्वारा छोटानागपुर कारतकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-मंझलीकर्वे, थाना नं0-174, खाता संख्या-07, प्लॉट संख्या-36 रकवा 0.09 एकड़ (09 डिसमिल) (नौ डिसमिल) भूमि नीतु देवी पति बबलु राम, निवास स्थान-जबरा, थाना-हजारीबाग मुफ्फसिल, पोस्ट-कोर्रा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री करने हेतु आवेदक एवं प्रस्तावित केता का जाति, आवासीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति एवं भूमि संबंधी कागजात संलग्न करते हुए ऑनलाईन आवेदन Acknowledgement No.-RCMSON21006789 समर्पित किया गया है। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमिशन वाद संख्या-78/2021 प्रारम्भ कर कार्यालय पत्रांक 1262/रा0 दिनांक 30.10.2021 द्वारा अंचल अधिकारी, सदर को आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं जाँच प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के पत्रांक 1587 दिनांक 31.12.2021 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन, आम इश्तेहार का तामिला प्रतिवेदन एवं प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा उपलब्ध कराया गया है। आम इश्तेहार में किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दर्ज नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि - विक्रेता एवं क्रेता पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत है, जो सी0एन0टी0 से आच्छादित है एवं हजारीबाग जिला के निवासी हैं। आवेदित भूमि केवाला से हासिल है। भूमि रैयती खाते की है। खतियानी रैयत चुरन कोयरी वगै0 हैं। खतियान के अनुसार धारित कुल रकवा 1.11 एकड़ भूमि है। मौजा-मंझलीकर्वे खाता संख्या-07, रकवा-18डी0 भूमि की जमाबंदी पंजी-II के पृष्ठ संख्या-94/IV पर सावित्री देवी पति प्रफुल राम के नाम पर दर्ज है। लगान रसीद वर्ष 2014-15 तक निर्गत् है। आवेदिका द्वारा धारित कुल रकवा 18डी0 भूमि है। बिक्री की अनुमति मिलने के पश्चात् आवेदिका के पास मौजा-मंझलीकर्वे के खाता संख्या-61, रकवा-4.24 एकड़ की जमाबंदी लुरक राम के नाम पर दर्ज, जो आवेदिका के दादा ससुर हैं। विक्रेता को भूमि बिक्री करने का अधिकार है। प्रस्तावित भूमि भूदान/भू-अधिग्रहण क्षेत्र/प्रतिबंधित सूची/वन भूमि/सरकारी भूमि के अन्तर्गत नही है। साथ ही BLR Act Section 4h से मुक्त है। प्रश्नगत् भूमि आवेदक के दखल कब्जा में है।	

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
1	2	3
	प्रश्नगत् भूमि का ट्रेस नक्शा प्राप्त है, जिसमें आवेदित भूमि को पीला रंग से दर्शाया गया है एवं नक्शा में प्रस्तावित भूमि का चौहद्दी भी अंकित किया गया है। साथ ही वर्ष 2022-23 तक निर्गत् लगान रसीद की प्रति भी प्राप्त है। अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गयी है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अंचल अधिकारी, सदर हजारीबाग के अनुशंसा के आलोक में मसो0 सावित्री देवी पति स्व0 प्रफुल राम, निवास स्थान-अमृतनगर, करवेकला, थाना-मुफ्फसिल, पोस्ट-कोर्रा, जिला-हजारीबाग को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अंचल-सदर हजारीबाग, मौजा-मंझलीकर्वे, थाना नं0-174, खाता संख्या-07, प्लॉट संख्या-36 रकवा 0.09 एकड़ (09 डिसमिल) (नौ डिसमिल) भूमि नीतु देवी पति बबलु राम, निवास स्थान-जबरा, थाना-हजारीबाग मुफस्सिल, पोस्ट-कोर्रा, जिला-हजारीबाग के साथ भूमि बिक्री हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2023.04.12 17:55:07 +05:30
Location: 192.168.0.106